

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाडा

पीठारसीन अधिकारी श्रीमती नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 40/2024

उनवान

1. श्रीमती निर्मला देवी सोमाणी पत्नी श्री बालमुकुन्द सोमाणी नि० मंगरोप हाल नि० शास्त्री नगर भीलवाडा(राज)

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री छोदू सिंह पुत्र गोपाल सिंह राजपूत नि० दलेल सिंह जी का खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. भगवान सिंह पिता श्री बालूसिंह नि० दलेल सिंह जी का खेडा तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. नारायण पिता श्री मांगू बैरवा(चमार) नि० रूपालिया तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. बालमुकुन्द पिता श्री रामविलास सोमाणी नि० मंगरोप हाल नि० शास्त्रीनगर भीलवाडा(राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 09.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 26.03.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम दलेल सिंह जी का खेडा प.ह. आमलीगढ भू.अ.नि. मंगरोप तह हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 48 की आ.न. 236/1 रकबा 0.0759 है०, आ.न. 236/2 रकबा 0.7587 है०, आ.न. 237 रकबा 0.5311 है०, आ.न. 318/236 रकबा 1.2645 है०, आ.न. 323/236 रकबा 1.2645 है०, आ.न. 331/236 रकबा 0.0253 है०, कुल कित्ता 06 रकबा 3.9200 है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 27.03.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 04 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम दलेल सिंह जी का खेडा प.ह. आमलीगढ भू.अ.नि. मंगरोप तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 48 की आ.न. 236/1 रकबा 0.0759 है०, आ.न. 236/2 रकबा 0.7587 है०, आ.न. 237 रकबा 0.5311 है०, आ.न. 318/236 रकबा 1.2645 है०, आ.न. 323/236 रकबा 1.2645 है०, आ.न. 331/236 रकबा 0.0253 है०, कुल कित्ता 06 रकबा 3.9200 है०, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1600/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही प्रार्थी को फीस 500/- रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान कराने का आदेश आज दिनांक 09.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

